न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रशान्त शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 51/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार बाडमेर		अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 68 RLA Act.

उपस्थिति :— 1. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 21.09.20

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम सरली पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 892 में से नव सृजित खसरा संख्या 1167/892, 1168/892, 1169/892, 1180/892 व 1181/892 कुल रकबा 01.16 बीघा का ऐकीकरण कर सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की और से सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर ने नोटिस का जवाब इस आशय का उपलब्ध करवाया कि ग्राम सरली पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1167/892, 1168/892, 1169/892, 1180/892 व 1181/892 कुल रकबा 01.16 बीघा का ऐकीकरण कर एक खसरा संख्या 1169/892 रकबा 01.16 बीघा अंकित कर सार्वजनिक विभाग बाडमेर में दर्ज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम सरली पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 892 में से नव सृजित खसरा संख्या 1167/892, 1168/892, 1169/892, 1180/892 व 1181/892 कुल रकबा 01.16 बीघा का खसरा संख्या 1169/892 रकबा 01.16 बीघा सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर के नाम ऐकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम सरली पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाडमेर के मूल खाता संख्या 892 में से नव सृजित खसरा संख्या 1167/892, 1168/892, 1169/892, 1180/892 व 1181/892 कुल रकबा 01.16 बीघा का एकीकृत कर तहसीलदार बाउमेर द्वारा प्रस्तावित नया खसरा संख्या 1169/892 रकबा 01.16 बीघा सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडमेर के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करें।

यह आज तारीख 21.09.20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रशान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 21.09.20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner